APP-A
Crim-I

FROM No.-III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

लाल पुत्र लादु लाल बैरवा
– परडोदास

बनाम श्रीमति पुत्री गोपी पत्नि चुन्नी लाल
निवासी – गढवालों का खेडा

मुकदमा– याद पत्र अन्तर्गत धारा – 53 रा.टी.ए.

प्रकरण संख्या– 52/2018

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8	बाद जॉच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जायें प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन जारी किया जाकर मिलस दिनांक 08.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र बोरखेडा पेश करें । सहायक कलक्टर(SDO)गुलाबपुरा	
	8/6/2018 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट बोरखेडा पर पेश हुई। वादी श्रीलाल बैरवा उपस्थित। कथन किया कि मैंने भूमि बटवाडा का मामला लिया था, किन्तु अब मैं भूमि का बटवाडा नहीं करवाना चाहता हूँ। मामला स्वतरिज कराने मैंने उपस्थित वादिन को सूना चुकि: उक्त द्वारा भूमि का बटवाडा नहीं करवाना आज मेरे समक्ष जाहिर करना है, एसा प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है पत्रावली दुबारा फैसल लेकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दि0. 8/6/18 को खुली अदालत कैम्प कोर्ट बोरखेडा पर सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner